पंचदश माला, खंड 23, अंक 1

सोमवार, 12 मार्च, 2012
22 फाल्गुन, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

रेनूबाला सूदन
सहायक सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

पी.एल.एस.–48/23/1/2012 (एन०)
230

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 23, दसवां सत्र, 2012/1933 (शक)]

अंक 1, सोमवार, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची.	(iii—x)
लोक सभा के पदाधिकारी.	(xi)
मंत्रिपरिषद्.	(xiii—xvi)
राष्ट्रगान.	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण.	1–20
निधन संबंधी उल्लेख.	20–25
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	25–26
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र.	26

पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अंगड़ी, श्री सुरेश (बेलगाम)

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (उत्तर-पूर्व दिल्ली)

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ)

अजनाला, डॉ. रतन सिंह (खडूर साहिब)

अजमल, श्री बदरूद्दीन (धुबरी)

अजहरूद्दीन, श्री मोहम्मद (मुरादाबाद)

अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावती)

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार (कांथी)

अधिकारी, श्री सुवेन्दु (तामलुक)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन)

अब्दुल्ला, डॉ. फारूख (श्रीनगर)

अमलाबे, श्री नारायण सिंह (राजगढ़)

अर्गल, श्री अशोक (भिंड)

अलागिरी, श्री एम.के. (मदुरै)

अलागिरी, श्री एस. (कुड्डालोर)

अहमद, श्री ई. (मालापुरम)

अहमद, श्री सुल्तान (उलूबेरिया)

अहीर, श्री हंसराज गं. (चन्द्रपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति (दरभंगा)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आधि शंकर, श्री (कल्लाकुरिची)

आनंदन, श्री एम. (विलुपुरम)

आरुन रशीद, श्री जे.एम. (थेनी)

आवले, श्री जयवंत गंगाराम (लातूर)

इंगती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला-असम)

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस. (चेन्नई उत्तर)

इस्लाम, शेख नूरूल (बसीरहाट)

ईरींग, श्री निनोंग (अरुणाचल पूर्व)

उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी)

उपाध्याय, श्रीमती सीमा (फतेहपुर सीकरी)

एंटोनी, श्री एंटो (पथनमथीट्टा)

ऐरन, श्री प्रवीण सिंह (बरेली)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

कछाड़िया, श्री नारनभाई (अमरेली)

कटारिया, श्री लालचन्द (जयपुर ग्रामीण)

कटील, श्री नलिन कुमार (दक्षिण कन्नड़)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

'कमांडो', श्री कमल किशोर (बहराइच)

करवारिया, श्री कपिल मुनि (फूलपुर)

करुणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कश्यप, श्री दिनेश (बस्तर)

कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कामत, श्री गुरुदास (मुंबई उत्तर-पश्चिम)

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी (श्रीकाकुलम)

कुमार, श्री अजय (जमशेदपुर)

कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा)

कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली)

कुमार, श्री मिथिलेश (शाहजहांपुर)

कुमार, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली)

कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल)

कुमार, श्री वीरेन्द्र (टीकमगढ़)

कुमार, श्री शैलेन्द्र (कौशाम्बी)

कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)

कुमारास्वामी, श्री एच.डी. (बंगलौर ग्रामीण)

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश (जोधपुर)

कुमारी, श्रीमती पुतुल (बांका)

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम)
कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी)
कृष्टप्प, श्री एन. (हिन्दुपुर)
केपी, श्री महिन्दर सिंह (जालंधर)
कोडा, श्री मधु (सिंहभूम)
कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी (गडचिरोली-चिमुर)
कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)
खंडेला, श्री महादेव सिंह (सीकर)
खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील (नांदेड़)
खत्री, डॉ. निर्मल (फैजाबाद)
खरगे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलबर्गा)
खान, श्री हसन (लद्दाख)
खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रूखाबाद)
खैरे, श्री चंद्रकांत (औरंगाबाद)
गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी (बनासकांठा)
गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड)
गद्गीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट)
गवली, श्रीमती भावना पाटील (यवतमाल-वाशिम)
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)
गांधी, श्री राहुल (अमेठी)
गांधी, श्री वरुण (पीलीभीत)
गांधी, श्रीमती मेनका (आंवला)
गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)
गांधीसेलवन, श्री एस. (नामाक्कल)
गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव (मुम्बई दक्षिण-मध्य)
गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)
गीते, श्री अनंत गंगाराम (रायगढ़)
गुड्डू, श्री प्रेमचन्द (उज्जैन)
गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (फरीदकोट)
गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)
गोहौन, श्री राजेन (नोगोंग)
गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे (बंगलौर उत्तर)
गौडा, श्री शिवराम (कोप्पल)
घाटोवार, श्री पबन सिंह (डिब्रूगढ़)
घुबाया, श्री शेर सिंह (फिरोजपुर)
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)
चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (दिंडोरी)
चाको, श्री पी.सी. (थ्रिसूर)
चांग, श्री सी.एम. (नागालैंड)
चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)
चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डॉ. (तिरुपति)
चौधरी, डॉ. तुषार (बारडोली)
चौधरी, श्री अधीर (बहरामपुर)
चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा दक्षिण)
चौधरी, श्री अरविन्द कुमार (बस्ती)
चौधरी, श्री जयंत (मथुरा)
चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)
चौधरी, श्री बंस गोपाल (आसनसोल)
चौधरी, श्री भूदेव (जमुई)
चौधरी, श्री हरीश (बाड़मेर)
चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी महेन्द्रगढ़)
चौधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर)
चौहान, श्री दारा सिंह (घोसी)
चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी. (पंचमहल)
चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी. (साबरकांठा)
चौहान, श्री संजय सिंह (बिजनौर)
चौहान, श्रीमती राजकुमारी (अलीगढ़)
जगतरक्षकन, डॉ. एस. (अराकोनम)
जगन्नाथ, डॉ. मन्दा (नागरकुरनूल)
जतुआ, श्री चौधरी मोहन (मथुरापुर)
जेयदुरई, श्री एस.आर. (थूथुकुडी)
जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)
जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत)
जहां, श्रीमती कैसर (सीतापुर)
जाखड़, श्री बद्रीराम (पाली)
जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई (कच्छ)
जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव (बुलढाणा)
जाधव, श्री बलीराम (पालघर)
जायसवाल, डॉ. संजय (पश्चिम चम्पारण)

जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद (देवरिया)
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)
जावले, श्री हरिभाऊ (रावेर)
जिन्दल, श्री नवीन (कुरूक्षेत्र)
जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर)
जूदेव, श्री दिलीप सिंह (बिलासपुर)
जेना, श्री मोहन (जाजपुर)
जेना, श्री श्रीकांत (बालासोर)
जैन, श्री प्रदीप (झांसी)
जोशी, डॉ. मुरली मनोहर (वाराणसी)
जोशी, डॉ. सी.पी. (भीलवाड़ा)
जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)
जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड)
जोशी, श्री महेश (जयपुर)
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा (विजयनगरम)
टन्डन, श्रीमती अन्नू (उन्नाव)
टन्डन, श्री लालजी (लखनऊ)
टम्टा, श्री प्रदीप (अल्मोड़ा)
टुडु, श्री लक्ष्मण (मयूरभंज)
टैगोर, श्री मानिक (विरुद्धनगर)
टोप्पो, श्री जोसेफ (तेजपुर)
ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीरपुर, हि.प्र.)
ठाकोर, श्री जगदीश (पाटन)
डिएस, श्री चार्ल्स (नामनिर्देशित)
डे, डॉ. रत्ना सिंह (हुगली)
डेका, श्री रमेन (मंगलदोई)
डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन (कन्याकुमारी)
डोम, डॉ. रामचन्द्र (बोलपुर)
तम्बिदुरई, डॉ. एम. (करूर)
तंवर, श्री अशोक (सिरसा)
तरई, श्री बिभु प्रसाद (जगतसिंहपुर)
तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी)
ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर (दाहोद)
तिरकी, श्री मनोहर (अलीपुरद्वार)
तिरूमावलावन, श्री थोल (चिदम्बरम)
तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना)
तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल (संत कबीर नगर)
तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर-पश्चिम दिल्ली)
तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (मुरैना)
त्रिवेदी, श्री दिनेश (बैरकपुर)
थरूर, डॉ. शशी (तिरुवनंतपुरम)
थामराईसेलवन, श्री आर. (धर्मापुरी)
थॉमस, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम)
थॉमस, श्री पी.टी. (इदुक्की)
दत्त, श्रीमती प्रिया (मुम्बई उत्तर-मध्य)
दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष (बारासात)
दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)
दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)
दासगुप्त, श्री गुरुदास (घाटल)
दासमुंशी, श्रीमती दीपा (रायगंज)
दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)
दुबे, श्री निशिकांत (गोड्डा)
दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव (परभणी)
देव, श्री वी. किशोर चन्द्र (आरूकु)
देवरा, श्री मिलंद (मुंबई-दक्षिण)
देवी, श्रीमती अश्वमेध (उजियारपुर)
देवी, श्रीमती रमा (शिवहर)
देवेगौडा, श्री एच.डी. (हसन)
देशमुख, श्री के.डी. (बालाघाट)
धनपालन, श्री के.पी. (चालाकुडी)
धुर्वे, श्रीमती ज्योति (बेतूल)
धोत्रे, श्री संजय (अकोला)
ध्रुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर)
नकवी, श्री जफर अली (खीरी)
नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर)
नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर)
नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)
नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा (बनगांव)
नाईक, डॉ. संजीव गणेश (ठाणे)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा)
नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा)
नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह (गौतमबुद्ध नगर)
नामधारी, श्री इन्दर सिंह (चतरा)
नायक, श्री पी. बलराम (महबूबाबाद)
नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप (धुले)
नारायणसामी, श्री वी. (पुडुचेरी)
निरूपम, श्री संजय (मुंबई-उत्तर)
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)
नूर, कुमारी मौसम (मालदा उत्तर)
नैपोलियन, श्री डी. (पेरम्बलूर)
पक्कीरप्पा, श्री एस. (रायचूर)
पटले, श्रीमती कमला देवी (जांजगीर-चम्पा)
पटेल, श्री आर.के. सिंह (बांदा)
पटेल, श्री किसनभाई वी. (वलसाड)
पटेल, श्री दिनशा (खेडा)
पटेल, श्री देवजी एम. (जालौर)
पटेल, श्री देवराज सिंह (रीवा)
पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई (दादरा और नगर हवेली)
पटेल, श्री प्रफुल (भन्डारा गोंदिया)
पटेल, श्री बाल कुमार (मिर्जापुर)
पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई (दमन और दीव)
पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली (सुरेन्द्रनगर)
पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन (महेसाणा)
परांजपे, श्री आनंद प्रकाश (कल्याण)
पलानीमनिकम, श्री एस.एस. (तंजावूर)
पवार, श्री शरद (माधा)
पांगी, श्री जयराम (कोरापुट)
पांडा, श्री वैजयंत (केन्द्रपाड़ा)
पांडा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)
पाण्डेय, श्री राकेश (अम्बेडकर नगर)
पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)
पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव (उस्मानाबाद)
पाटील, श्री ए.टी. नाना (जलगांव)
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)
पाटील, श्री प्रतीक (सांगली)
पाटील, श्री संजय दिना (मुंबई उत्तर-पूर्व)
पाटिल, श्री सी.आर. (नवसारी)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद पूर्व)
पाण्डेय, कुमारी सरोज (दुर्ग)
पाण्डेय, श्री गोरखनाथ (भदोही)
पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार (श्रावस्ती)
पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)
पायलट, श्री सचिन (अजमेर)
पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज)
पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर)
पाला, श्री विन्सेंट एच. (शिलांग)
पासवान, श्री कमलेश (बांसगांव)
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापटनम)
पुनिया, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी)
पॉल, श्री तापस (कृष्णानगर)
पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)
प्रभाकर, श्री पोन्नम (करीमनगर)
प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर)
प्रधान, श्री नित्यानंद (अस्का)
प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा)
प्रेमदास, श्री (इटावा)
बंदोपाध्याय, श्री सुदीप (कोलकाता उत्तर)
बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)
बक्शी, श्री सुब्रत (कोलकाता दक्षिण)
बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह (हाथरस)
बब्बर, श्री राज (फिरोजाबाद)
बनर्जी, श्री अम्बिका (हावड़ा)
बनर्जी, श्री कल्याण (श्रीरामपुर)
बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान (संभल)
बलीराम, डॉ. (लालगंज)
बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी. (पोन्नानी)
बासवराज, श्री जी.एस. (टुमकुर)
बहुगुणा, श्री विजय (टिहरी गढ़वाल)

बाइते, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर)
बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)
बाजवा, श्री प्रताप सिंह (गुरदासपुर)
बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर (भटिंडा)
बापीराजू, श्री के. (नरसापुरम)
बाबर, श्री गजानन ध. (मावल)
'बाबा', श्री के.सी. सिंह (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर)
बालू, श्री टी.आर. (श्रीपेरूम्बुदूर)
बाल्मीकि, श्री कमलेश (बुलन्दशहर)
बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई (राजकोट)
बासके, श्री पुलीन बिहारी (झाड़ग्राम)
बिश्नोई, श्री कुलदीप (हिसार)
बिसवाल, श्री हेमानंद (सुन्दरगढ़)
बिजू, श्री पी.के. (अलथूर)
बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह (खजुराहो)
बेग, डॉ. मिर्जा महबूब (अनंतनाग)
बेसरा, श्री देवीधन (राजमहल)
बैठा, श्री कामेश्वर (पलामू)
बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल (करौली-धोलपुर)
बैस, श्री रमेश (रायपुर)
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)
भगत, श्री सुदर्शन (लौहरदगा)
भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)
भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)
भुजबल, श्री समीर (नासिक)
भूरिया, श्री कांति लाल (रतलाम)
भैया, श्री शिवराज (दमोह)
भोंसले, श्री उदयनराजे (सतारा)
भोई, श्री संजय (बारगढ़)
मंडल, डॉ. तरुण (जयनगर)
मंडल, श्री मंगनी लाल (झंझारपुर)
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)
मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार (बलूरघाट)
मणि, श्री जोस के. (कोट्टयम)
मणियन, श्री ओ.एस. (मईलादुतुरई)
मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)
मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग)
मसराम, श्री बसोरी सिंह (मंडला)
महन्त, डॉ. चरण दास (कोरबा)
महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)
महतो, श्री नरहरि (पुरुलिया)
महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (वाल्मीकिनगर)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
महापात्र, श्री सिद्धांत (बरहामपुर)
महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)
माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)
माझी, श्री प्रदीप (नवरंगपुर)
मांझी, श्री हरि (गया)
मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)
मारन, श्री दयानिधि (चेन्नई मध्य)
मित्रा, श्री सोमेन (डायमंड हार्बर)
मिर्धा, डॉ. ज्योति (नागौर)
मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी)
मिश्रा, श्री पिनाकी (पुरी)
मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली)
मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल (दौसा)
मीणा, श्री नमोनारायन (टोंक-सवाई माधोपुर)
मीणा, श्री रघुवीर सिंह (उदयपुर)
मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड (नामनिर्देशित)
मुंडे, श्री गोपीनाथ (बीड)
मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)
मुंडा, श्री कड़िया (खूंटी)
मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)
मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)
मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर)
मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर)
मेघे, श्री दत्ता (वर्धा)
मैन्या, डॉ. थोकचोम (आंतरिक मणिपुर)
मोइली, श्री एम. वीरप्पा (चिकबल्लापुर)

मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य)
यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)
यादव, श्री अरुण (खंडवा)
यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दराबाद)
यादव, श्री ओम प्रकाश (सिवान)
यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगड़िया)
यादव, श्री धर्मेन्द्र (बदायूं)
यादव, श्री मधुसूदन (राजनंदगांव)
यादव, श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी)
यादव, प्रो. रंजन प्रसाद (पाटलिपुत्र)
यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)
यादव, श्री शरद (मधेपुरा)
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)
यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)
रहमान, श्री अब्दुल (वेल्लोर)
राघवन, श्री एम.के. (कोझिकोड)
राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. (शिमोगा)
राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)
राजभर, श्री रमाशंकर (सलेमपुर)
राजा, श्री ए. (नीलगिरि)
राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)
राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाडा)
राजेन्द्रन, श्री सी. (चेन्नै दक्षिण)
राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड़)
राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)
राठौड़, श्री रमेश (आदिलाबाद)
राणा, श्री कादिर (मुजफ्फरनगर)
राणा, श्री जगदीश सिंह (सहारनपुर)
राणा, श्री राजेन्द्रसिंह (भावनगर)
राणे, श्री निलेश नारायण (रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग)
रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई (पोरबंदर)
राम, श्री पूर्णमासी (गोपालगंज)
रामकिशुन, श्री (चन्दौली)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा)
रामशंकर, प्रो. (आगरा)
रामासुब्बू, श्री एस. (तिरुनेलवेली)
राय, श्री अर्जुन (सीतामढ़ी)
राय, श्री नृपेन्द्र नाथ (कूच बिहार)
राय, श्री प्रेम दास (सिक्किम)
राय, श्री महेन्द्र कुमार (जलपाईगुडी)
राय, श्री रूद्रमाधव (कंधमाल)
राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
राय, प्रो. सौगत (दमदम)
राय, श्रीमती शताब्दी (बीरभूम)
राव, डॉ. के.एस. (एलूरू)
राव, श्री के. चन्द्रशेखर (महबूबनगर)
राव, श्री के. नारायण (मछलीपट्टनम)
राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम)
राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)
रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)
रावत, श्री हरीश (हरिद्वार)
रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)
रुआला, श्री सी.एल. (मिजोरम)
रेड्डी, श्री अनंत वेंकटरामी (अनंतपुर)
रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)
रेड्डी, श्री एस. जयपाल (चेवेल्ला)
रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल)
रेड्डी, श्री के.आर.जी. (भोंगीर)
रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)
रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल (नरसारावपेट)
रेड्डी, श्री वाई.एस. जगनमोहन (कडापा)
लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका (बापतला)
लागुरी, श्री यशवंत (क्योंझर)
लाल, श्री पकौड़ी (राबर्ट्सगंज)
लालू प्रसाद, श्री (सारण)
लिंगम, श्री पी. (तेनकासी)
वर्धन, श्री हर्ष (महाराजगंज, उ.प्र.)
वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (गोंडा)
वर्मा, श्री सज्जन (देवास)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)
वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)
वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम (शिरडी)
वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव (हिंगोली)
वासनिक, श्री मुकुल (रामटेक)
विजय शान्ति, श्रीमती एम. (मेडक)
विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)
विवेकानंद, डॉ. जी. (पेड्डापल्ली)
विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच. (मैसूर)
विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश (चिक्कोडी)
विश्वनाथन, श्री पी. (कांचीपुरम)
वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजामुन्दरी)
वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलप्पुझा)
वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुवन्नामलाई)
वेणुगोपाल, डॉ. पी. (तिरुवल्लूर)
व्यास, डॉ. गिरिजा (चित्तौड़गढ़)
शर्मा, डॉ. अरविंद कुमार (करनाल)
शर्मा, श्री जगदीश (जहानाबाद)
शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)
शानवास, श्री एम.आई. (वयनाड)
शांता, श्रीमती जे. (बेल्लारी)
शारिक, श्री शरीफुद्दीन (बारामूला)
शिंदे, श्री सुशीलकुमार (शोलापुर)
शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश (रामनाथपुरम)
शिवप्रसाद, डॉ. एन. (चित्तूर)
शिवाजी, श्री अधलराव पाटील (शिरूर)
शिवासामी, श्री सी. (तिरूपुर)
शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)
शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव (वडोदरा)
शेखर, श्री नीरज (बलिया)
शेखावत, श्री गोपाल सिंह (राजसमंद)
शेटकर, श्री सुरेश कुमार (जहीराबाद)
शेट्टी, श्री राजू (हातकंगले)
संगमा, कुमारी अगाथा (तुरा)
संजय, श्री तकाम (अरुणाचल प्रदेश)
सईद, श्री हमदुल्लाह (लक्षद्वीप)
सचान, श्री राकेश (फतेहपुर)
सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री सर्वे (मल्काजगिरि)
सम्पत, श्री ए. (अटिंगल)
सरोज, श्री तूफानी (मछलीशहर)
सरोज, श्रीमती सुशीला (मोहनलालगंज)
सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)
साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)
साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)
सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा)
साहा, डॉ. अनूप कुमार (बर्धमान उत्तर)
साहू, श्री चंदूलाल (महासमुंद)
सिंगला, श्री विजय इन्दर सिंह (संगरूर)
सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर)
सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलंगिर)
सिंह, श्री आर.पी.एन. (कुशीनगर)
सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)
सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)
सिंह, डॉ. संजय (सुल्तानपुर)
सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)
सिंह, राव इन्द्रजीत (गुड़गांव)
सिंह, श्री अजित (बागपत)
सिंह, श्री इज्यराज (कोटा)
सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)
सिंह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद)
सिंह, श्री उमाशंकर (महाराजगंज, बिहार)
सिंह, श्री एन. धरम (बीदर)
सिंह, श्री कल्याण (एटा)
सिंह, श्री गणेश (सतना)
सिंह, श्री जगदानंद (बक्सर)
सिंह, श्री जसवंत (दार्जिलिंग)
सिंह, श्री जितेन्द्र (अलवर)
सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री धनंजय (जौनपुर)
सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)
सिंह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया)
सिंह, श्री ब्रजभूषण शरण (कैसरगंज)
सिंह, श्री भूपेन्द्र (सागर)
सिंह, डॉ. भोपाल (नवादा)
सिंह, श्री महाबली (काराकाट)
सिंह, श्री मुरारी लाल (सरगुजा)
सिंह, श्री यशवीर (नगीना)
सिंह, श्री रतन (भरतपुर)
सिंह, श्री रवनीत (आनंदपुर साहिब)
सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)
सिंह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद)
सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर)
सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारण)
सिंह, श्री राधे मोहन (गाजीपुर)
सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)
सिंह, श्री विजय बहादुर (हमीरपुर, उ.प्र.)
सिंह, श्री वीरभद्र (मंडी)
सिंह, श्री सुखदेव (फतेहगढ़ साहिब)
सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)
सिंह, श्रीमती मीना (आरा)
सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल)
सिद्देश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)
सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)
सिन्हा, श्री यशवंत (हजारीबाग)
सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब)
सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)
सिरिसिल्ला, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)
सुगुमार, श्री के. (पोल्लाची)
सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर)
सुमन, श्री कबीर (जादवपुर)
सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मावेलीकारा)
सुले, श्रीमती सुप्रिया (बारामती)
सुशान्त, डॉ. राजन (कांगड़ा)
सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)
सेम्मलई, श्री एस. (सलेम)
सैलजा, कुमारी (अम्बाला)
सोरेन, श्री शिबू (दुमका)
सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई (अहमदाबाद पश्चिम)
सोलंकी, श्री दीनूभाई (जूनागढ़)
सोलंकी, श्री भरतसिंह (आनन्द)
सोलंकी, श्री मकनसिंह (खरगौन)
स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा)
स्वामी, श्री जनार्दन (चित्रदुर्ग)
स्वामी, श्री एन. चेलुवरया (मांड्या)
हक, श्री मोहम्मद असरारूरल (किशनगंज)
हक, शेख सैदुल (बर्धमान-दुर्गापुर)
हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर)
हरि, श्री सब्बम (अनाकापल्ली)
हर्ष कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)
हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन (रणघाट)
हसन, डॉ. मोनाजिर (बेगूसराय)
हसन, श्रीमती तबस्सुम (कैराना)
हान्डिक, श्री बी.के. (जोरहाट)
हुड्डा श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)
हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)
हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा)
हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)
हेगड़े, श्री अनंत कुमार (उत्तर कन्नड़)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

मंत्रिपरिषद्

कैबिनेट मंत्री

डॉ. मनमोहन सिंह	प्रधान मंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी, जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किए गए हैं; जैसे: (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; (2) योजना मंत्रालय; (3) परमाणु ऊर्जा विभाग; और (4) अंतरिक्ष विभाग
श्री प्रणब मुखर्जी	वित्त मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
श्री ए.के. एंटनी	रक्षा मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	गृह मंत्री
श्री एस.एम. कृष्णा	विदेश मंत्री
श्री वीरभद्र सिंह	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
श्री विलासराव देशमुख	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
श्री गुलाम नबी आजाद	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री सुशीलकुमार शिंदे	विद्युत मंत्री
श्री एम. वीरप्पा मोइली	कॉर्पोरेट कार्य मंत्री
डॉ. फारूख अब्दुल्ला	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री कमल नाथ	शहरी विकास मंत्री
श्री अजित सिंह	नागर विमानन मंत्री
श्री वायालार रवि	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
श्रीमती अम्बिका सोनी	सूचना और प्रसारण मंत्री
श्री मल्लिकार्जुन खरगे	श्रम और रोजगार मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री आनन्द शर्मा	वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री
डॉ. सी.पी. जोशी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
कुमारी सैलजा	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	पर्यटन मंत्री
श्री जी.के. वासन	पोत परिवहन मंत्री
श्री पवन कुमार बंसल	संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री

श्री मुकुल वासनिक	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री एम.के. अलागिरी	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री प्रफुल पटेल	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	कोयला मंत्री
श्री सलमान खुर्शीद	विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
श्री वी. किशोर चन्द्र देव	जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री
श्री बेनी प्रसाद वर्मा	इस्पात मंत्री
श्री दिनेश त्रिवेदी	रेल मंत्री
श्री जयराम रमेश	ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री दिनशा पटेल	खान मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती कृष्णा तीरथ	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री अजय माकन	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री
प्रो. के.वी. थॉमस	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री श्रीकांत जेना	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जयंती नटराजन	पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री पबन सिंह घाटोवार	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. नारायणसामी	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.एच. मुनियप्पा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नमोनारायन मीणा	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.एम. पल्लम राजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. सौगत राय	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.एस. पलानीमनिकम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जितिन प्रसाद	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती परनीत कौर	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरीश रावत	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री भरतसिंह सोलंकी	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री महादेव सिंह खंडेला	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री शिशिर अधिकारी	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुल्तान अहमद	पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुकुल राय	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री चौधरी मोहन जतुआ	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री डी. नैपोलियन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. एस. जगतरक्षकन	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. गांधीसेलवन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. तुषार चौधरी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सचिन पायलट	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रतीक पाटील	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आर.पी.एन. सिंह	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विन्सेंट एच. पाला	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रदीप जैन	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

कुमारी अगाथा संगमा	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अश्विनी कुमार	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.सी. वेणुगोपाल	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुदीप बंदोपाध्याय	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. चरण दास महंत	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जितेन्द्र सिंह	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मिलिन्द देवरा	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री राजीव शुक्ला	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

सोमवार, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन, 1933 (शक)

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर पैंतालीस मिनट पर समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: महासचिव।

महासचिव: मैं 12 मार्च, 2012 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[हिन्दी]

**माननीय सदस्यगण,

मैं इस सत्र में आपका स्वागत करती हूं। मेरी सरकार ने अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है। आशा है, यह सत्र सफल और उपयोगी रहेगा।

यह वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलों भरा रहा है। आर्थिक अनिश्चितताओं का पूरे विश्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राजनीतिक अनिश्चितता व अस्थिरता बढ़ी है और जिस परिवेश में हम कार्य कर रहे हैं वह पिछले एक वर्ष में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। वर्ष 2010-11 में हमारी अर्थव्यवस्था 8.4 फीसदी की आकर्षक दर से बढ़ी, लेकिन इस वर्ष यह घटकर लगभग 7 फीसदी हो गई है। विश्व की मौजूदा प्रवृत्तियों को देखते हुए यह विकास दर अच्छी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक मूलतत्व स्वस्थ बने हुए हैं। भारत की विकास संभावनाएं उच्च घरेलू बचत एवं निवेश दर, अनुकूल जनसांख्यिकी और स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे कारकों द्वारा प्रेरित हैं। मेरी सरकार को विश्वास है कि वह शीघ्र ही देश के आर्थिक विकास को पुन: 8 से 9 फीसदी की उच्च दर पर वापस ले आएगी।

मेरी सरकार ईमानदार तथा अधिक कारगर शासन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार ने इस दिशा में और कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संसद में कई महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व विधेयक पेश किए गए हैं। इनमें लोकहित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक विदेशी लोक पदाधिकारियों और अन्तर्राष्ट्रीय लोक संगठनों के पदाधिकारियों की रिश्वत संबंधी भ्रष्टाचार निवारण विधेयक नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक तथा लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक शामिल हैं। भारत ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ कन्वेन्शन का भी अनुसमर्थन किया है। ये सभी भ्रष्टाचार को रोकने में रूपांतरकारी परिवर्तन कराने एवं शासनतंत्र में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने में सक्षम होंगे। सार्वजनिक खरीद संबंधित एक व्यापक कानून तैयार किया जा रहा है। न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन पहले ही किया जा चुका है।

सरकार काले धन की समस्या से निपटने के लिए विविध मोर्चों पर कार्रवाई प्रारम्भ कर चुकी है। इस क्रम में बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम बन चुका है और धन-शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया गया है। साथ ही देश में काले धन को पनपने से रोकने के लिए मजबूत कानून बनाने के उपायों पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है। देश में और देश से बाहर मौजूद काले धन का आकलन करने के लिए कई स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा अध्ययन कराया जा रहा है। प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता के अंतर्गत द जनरल एंटीअवाइडेंस रूल्स और कन्ट्रोल्ड फॉरेन कंपनी रूल्स तैयार किए जा रहे हैं। माल और सेवा कर पर राजनीतिक सहमति कायम करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे अप्रत्यक्ष करों को तर्कसंगत बनाकर तथा पूर्ण निवेश क्रेडिट उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सकेगी।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 6158/15/2012

** महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल राष्ट्रपति महोदया ने केन्द्रीय कक्ष में अपना अभिभाषण हिन्दी में दिया और महामहिम श्री मोहम्मद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति भारत सरकार ने अभिभाषण का अंग्रेजी पाठ पढ़ा।

हम देश में अवैध निधियों के सृजन और उनके देश से बाहर जाने को रोकने के लिए कई कदम उठा रहे हैं तथा विदेशों से काले धन संबंधी व्यापक सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल स्थापित कर रहे हैं। इनमें विदेशों में नई आयकर यूनिटें शुरू करना, नए दोहरे कराधान निवारण करारों और नवीन कर सूचना विनिमय करारों पर हस्ताक्षर करना तथा अंतरण मूल्य निर्धारण और अन्तर्राष्ट्रीय कराधान उपबंधों को बेहतर ढंग से लागू करना शामिल है।

सार्वजनिक सेवाएं दक्ष एवं स्वचालित तरीके से प्रदान करना, जिसमें मानवीय दखल कम से कम हो, भ्रष्टाचार को कम करने के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में 97,000 जनसुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं ताकि नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं सुविधापूर्ण तरीके से प्राप्त हो सकें। आयकर, पासपोर्ट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा कारपोरेट कार्य विभागों ने ऑन-लाइन सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण और डाक सेवाओं में भी जल्दी ही नए ई-गवर्नेन्स प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। संसद में इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज डिलीवरी बिल पेश किया जा चुका है। सभी ई-गवर्नेन्स प्रोजेक्टों के अधीन जनसेवाएं अधिकाधिक इंटरनेट और मोबाइल फोन के माध्यम से दी जाएंगी।

मेरी सरकार ने देश के लाखों वंचित लोगों तक पहुंचने के लिए 'आधार' नामक अनूठी योजना शुरू की है जो सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की उपलब्धता, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होगी और जिससे लोगों की वित्तीय समावेशिता बढ़ेगी।

वर्ष 2012-13, 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होगा। इसका लक्ष्य है ''त्वरित, वहनीय और समावेशी विकास'। 12वीं योजना के एप्रोच पेपर में 9 फीसदी विकास दर और 4 फीसदी कृषि विकास दर का लक्ष्य है।

आज देश के समक्ष 5 प्रमुख चुनौतियां हैं जिन पर मेरी सरकार काम करेगी–

* आबादी के एक बड़े हिस्से को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने हेतु सतत् प्रयास करना तथा देश से गरीबी, भूख और निरक्षरता समाप्त करने के लिए कार्यरत रहना;
* त्वरित एवं व्यापक विकास तथा जनता के लिए आजीविका आधारित कार्यों का सृजन करते हुए आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना;
* त्वरित विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना;
* पारिस्थितिकीय और पर्यावरण सुरक्षा को जोखिम में डाले बिना विकास लक्ष्य प्राप्त करना; तथा
* न्यायसंगत, बहुलवादी, पंथनिरपेक्ष तथा समावेशी लोकतंत्र के दायरे में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करना।

सभी नागरिकों को शिक्षा एवं कौशल विकास के अवसर प्रदान करके उन्हें समर्थ बनाते हुए आजीविका सुरक्षा के लक्ष्य को त्वरित एवं समावेशी विकास की प्रक्रिया से बेहतर प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा के अधिकार के सुदृढ़ आधार पर कौशल प्रशिक्षण को शिक्षा के सभी स्तरों पर जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता पद्धति के विकास हेतु समान सिद्धांत और दिशानिर्देश तय करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता व्यवस्था कायम की जा रही है।

मेरी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2012-13 में 85 लाख लोगों को और 12वीं योजना में कुल 800 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। देश में पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के तहत, सरकार 13 हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1500 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 5 हजार कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करेगी।

उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है। भविष्य के लिए कार्य-योजना तैयार करने हेतु राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग का गठन भी किया जा रहा है।

अध्यापक शैक्षिक व्यवस्था के केन्द्र-बिन्दु हैं। मेरी सरकार अध्यापक शिक्षण एवं फैकल्टी विकास के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करेगी।

समस्त छात्रों को, उनकी अदायगी क्षमता पर विचार किए बिना उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार उच्च शिक्षा ऋण गारंटी प्राधिकरण का गठन करेगी, जो कि शैक्षिक ऋणों का जोखिम संग्रहण करते हुए सीमित ऋण गारंटी की व्यवस्था करेगा।

कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण में शिक्षा के महत्व को समझते हुए मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि करने के बाद, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिक के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति की दरें हाल ही में बढ़ाई हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के डेढ़ करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और फैलोशिप प्रदान की गई है।

पढ़ने-लिखने, काम-काज करने और एक बेहतर एवं संतोषपूर्ण जीवनयापन के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रभाव दिखने लगा है एवं स्वास्थ्य

सूचकांकों में भी प्रतिबिम्बित हो रहा है। शिशु मृत्यु-दर, जो वर्ष 2005 में 58 प्रति हजार जन्म थी, वर्ष 2010 में घटकर 47 प्रति हजार रह गई। मातृ मृत्यु-दर वर्ष 2004-06 में 254 प्रति लाख प्रसव से घटकर वर्ष 2007-09 में 212 प्रति लाख प्रसव हो गई है। जननी सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2010-2011 के दौरान 1 करोड़ 13 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया जो एक सराहनीय उपलब्धि है। देश से पोलियो लगभग खत्म किया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को वाइल्ड पोलियो वायरस से आक्रांत देशों की सूची से हटाने का निर्णय लिया है।

पिछले 7 वर्ष के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार बढते निवेश के बावजूद स्वास्थ्य मद पर सरकारी खर्च अभी भी कम है। सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार 12वीं योजना के अंत तक केन्द्र व राज्यों के कुल योजनागत व गैर-योजनागत व्यय को बढ़ाकर जीडीपी के 2.5 फीसदी तक ले जाने का प्रयास करेगी। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से सभी लोगों को नि:शुल्क जेनेरिक आवश्यक दवाइयां चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। 12वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बदलकर इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। मेरी सरकार ने कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग एवं स्ट्रोक निवारण व नियंत्रण कार्यक्रम और वृद्धों की स्वास्थ्य परिचर्या हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हम उन्नत स्तर की द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करेंगे। मेरी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए भी कार्य कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, एमबीबीएस की सीटों में 26 फीसदी और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में 62 फीसदी वृद्धि हुई है।

भारत की महान विरासत को आधार बनाते हुए आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) को एलोपैथिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

अत्यंत लोकप्रिय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ 64 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस योजना का विस्तार किया जाएगा। उम्मीद है कि 12वीं योजना की समाप्ति तक, इस योजना के अंतर्गत करीब 7 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

कुपोषण, बच्चों को गंभीर रूप से प्रभावित करता रहा है जिससे उनके शिक्षा प्राप्त करने और वहनीय आजीविका अर्जित करने के अवसरों पर भी असर पड़ता है। मेरी सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) को पुनर्व्यवस्थित व सुदृढ़ करेगी। मातृ-शिशु पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समस्या-प्रभावित 200 जिलों में आईसीडीएस के अलावा, मल्टी-सेक्टोरल पोषण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।

मेरी सरकार समाज के कमजोर व असुरक्षित तबकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने से रोकने के लिए बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन करेंगें। बच्चों की जगह स्कूल में है, कामकाज की जगहों पर नहीं।

रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचकर जीविका अर्जित करने वाले लाखों व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा करने तथा उनके विकास के लिए सरकार नया कानून बनाने पर कार्य कर रही है।

मेरी सरकार सिर पर मैला ढोने की प्रथा खत्म करने और अस्वच्छ शौचालयों को समाप्त करने के लिए संसद में नया विधेयक पेश करेगी। इसमें सिर पर मैला ढोने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवसायों में अवसर प्रदान करते हुए उपयुक्त पुनर्वास का भी प्रावधान होगा ताकि वे सम्मानजनक जीवनयापन कर सकें।

नि:शक्तता प्रभावित लोगों की समस्याओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक पृथक नि:शक्तता कार्य विभाग बनाया जाना प्रस्तावित है। सरकार नि:शक्त लोगों के लिए मौजूदा कानून के स्थान पर नया कानून बनाने पर भी विचार कर रही है।

मेरी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन कर रही है जो हमारी आबादी के इस महत्वपूर्ण वर्ग के लिए एक व्यापक भागीदारी आधारित फोरम के तौर पर कार्य करेगी।

लाभ-वंचित वन निवासियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन्य अधिकारियों की पहचान) अधिनियम के तहत 12.46 लाख से भी अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं। गौण वन्य उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

मेरी सरकार प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के लाभों को समेकित करेगी जिसके तहत सरकार की चिह्नित स्कीमों के 15 प्रतिशत लक्ष्य और परिव्यय को अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ-वंचित वर्गों के लिए निर्धारित किया गया है। अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम से अल्पसंख्यक संकेंद्रित 90 जिलों में सामाजिक-आर्थिक ढांचे में 3500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने में सफलता मिली है। वर्ष के दौरान,

इस कार्यक्रम को और अधिक कारगर बनाया जाएगा और इसके दायरे को भी बढ़ाया जाएगा।

वर्ष 2011-12 में सरकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के दिए जाने वाले अदत्त ऋण बढ़कर 14.5 प्रतिशत हो गए हैं। मेरी सरकार, वर्ष 2012-13 में 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करेगी।

अल्पसंख्यकों का सशक्तीकरण सुनिश्चित करने क लिए, मेरी सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित कोटे में से 4.5 प्रतिशत का उप-कोटा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है जो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नियत 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे के अंतर्गत दिया जाएगा।

मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी सरकार द्वारा कृषि पर लगातार जोर देने के अच्छे परिणाम मिले हैं। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2010-11 में 6.6 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो हाल के समय में हुई वृद्धि की उच्चतम दर है। वर्ष 2010-11 के दौरान देश में 24.156 करोड़ टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ। हमने 231 मिलियन टन फल और सब्जियों का, 18 मिलियन टन दालों का, 31.1 मिलियन टन तिलहन का और कपास की 33.42 मिलियन गांठों का रिकार्ड उत्पादन किया है। मेरी सरकार ने अपने प्रमुख कार्यक्रमों, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के जरिए, कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित किया है। मेरी सरकार ने पिछले सात वर्षों से प्रचलित किसान हितैषी मूल्य समर्थन नीति को जारी रखा है। वर्ष 2011-12 के दौरान, चुनिंदा कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 10 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि की गई।

2010-11 के दौरान 4 लाख 60 हजार करोड़ रुपए का कृषि ऋण दिया गया, जो लक्ष्य से 22 फीसदी अधिक है। मुझे विश्वास है कि 2011-12 का 4 लाख 75 हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य भी हासिल कर लिया जाएगा। छोटे किसानों को 3 लाख रुपए तक के फसल ऋण 7 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध कराने के लिए ब्याज में छूट स्कीम लागू की गई। जो किसान अपने अल्पावधि फसल ऋण समय पर चुकाते हैं उन्हें ब्याज में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जा रही है जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4 प्रतिशत ही रह जाएगी।

मेरी सरकार सिंचाई की सृजित क्षमता और प्रयुक्त क्षमता के बीच करीब 10 मिलियन हैक्टेयर के अंतर को कम करने के उपाय करेगी। इसके लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाएगा और उसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय जल मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में जल-उपयोग दक्षता में 20 प्रतिशत सुधार करना है। मेरी सरकार वर्षा सिंचित और शुष्क भूमि क्षेत्रों की कृषि उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने का प्रयास करेगी। ऐसा, सभी संबंधित पक्षों की स्वस्थ भागीदारी सुनिश्चित करके और सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों में तालमेल कायम करके किया जाएगा।

वर्ष के दौरान, आवश्यकता के अनुसार अनुदानित उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। उर्वरक मंत्रालय ऐसी व्यापक उर्वरक निगरानी व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसके जरिए किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता की सूचना एस.एम.एस., इंटरनेट और टेलीफोन पर दी जाएगी। मेरी सरकार ने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन की 8 यूरिया यूनिटों को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है, ताकि 9 मिलियन टन यूरिया की अतिरिक्त संस्थापित क्षमता सृजित की जा सके। हमारा लक्ष्य अगले 5 साल में यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है।

जैसा कि जून, 2009 में मैंने संसद में अपने अभिभाषण में ऐलान किया था, मेरी सरकार ने लोक सभा के पिछले शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश कर दिया है। इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान उपलब्ध होगा। साथ ही साथ मेरी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करने की दिशा में राज्य सरकारों से मिलकर कार्य कर रही है।

मेरी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में और अधिक पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने की पूरी कोशिश करती रहेगी। इस योजना के प्रारंभ से अब तक लगभग 11 सौ करोड़ श्रम-दिवसों के रोजगार का सृजन किया गया है और इस योजना पर लगभग 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस योजना का अब तक 25 करोड़ लोगों को फायदा मिला है। इस योजना के दिशानिर्देशों में, यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किए गए हैं कि इसे भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य के और अधिक अनुरूप बनाया जा सके।

मेरी सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया है, जिससे गरीब ग्रामीण परिवारों को रोजगार के सतत् अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

मेरी सरकार, समावेशी विकास नीति पर जोर देते हुए, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक को जल्द अधिनियमित करने के लिए प्रयासरत रहेगी। इस विधेयक में न केवल भू-स्वामी किसानों को बल्कि आजीविका के लिए ऐसी भूमि पर आश्रित लोगों को भी अनिवार्य पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन पैकेज सहित उदारतापूर्वक मुआवजा देने का भी प्रावधान है।

मेरी सरकार ने वर्ष 2004 में ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं में सुधार करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का दूसरा चरण 2009 में शुरू हुआ। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन करने, 1 लाख गांवों और 1 करोड़ 75 लाख गरीब परिवारों को बिजली देने और मौजूदा 1 लाख 94 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुधार करने और सभी चिह्नित घरों तक पीने का साफ-पानी पहुंचाने का लक्ष्य, 31 मार्च, 2012 की नियत तारीख से पहले ही पूरा किया जा चुका है।

शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित करने के लिए, मेरी सरकार जल्द ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू करेगी जो व्यापक स्तर पर कारीगरों के कौशल का उन्नयन, उद्यमिता का विकास एवं रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का कार्य करेगा।

मेरी सरकार, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर इस कार्यक्रम का अगला चरण शुरू करेगी। अब मिशन में महानगरों या बड़े नगरों की जगह प्रथम श्रेणी और मध्यम नगरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

धारणीय और पर्यावरण अनुकूल शहरी यातायात-व्यवस्था उपलब्ध करवाने के अपने निरन्तर प्रयासों की श्रृंखला में, मेरी सरकार इस वर्ष दिल्ली मेट्रो का तीसरा फेज शुरू करेगी और बेंगलूरू, हैदराबाद, कोलकाता एवं चेन्नई में मेट्रो परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। मेरी सरकार ने 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी शहरों के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट करने में मदद करने का भी निर्णय लिया है।

मेरी सरकार का समान नियामक व्यवस्था बनाने के लिए एक ऐसा विधेयक लाने का प्रस्ताव है जिसमें उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने, विवादों का जल्दी निपटारा करने और रीयल एस्टेट क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जाएगा।

मेरी सरकार शहरों में रहने वाले बेघर और बेसहारा लोगों की आवश्यकताएं पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि हम एक नया ''शहरी बेघर लोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम'' शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों में मिश्रित आश्रय स्थलों का ऐसा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी जिनमें बेसहारा लोगों के रहने और खाने का पर्याप्त इंतजाम होगा।

पर्यटन उद्योग में रोजगार पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। मेरी सरकार का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र में हर साल 12 फीसदी की वृद्धि करना होगा। वर्ष 2012-13 में लगभग 50 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वर्ष 2011-12 में लगभग 63 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए, जो पिछले वर्ष से 9 प्रतिशत अधिक हैं।

मेरी सरकार ने, संपूर्ण एनालॉग केबल टेलीविजन सिस्टम को दिसम्बर, 2014 तक डिजीटल सेवा में बदलने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया है। इससे सिस्टम और अधिक साम्यिक एवं पारदर्शी बनेगा और सुलभ लागत पर बेहतर दृश्यता सुविधा प्राप्त होगी।

छोटे नगरों और दूरदराज के इलाकों में रह रहे लाखों लोगों तक एफएम रेडियो सेवाएं पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों सहित, पूरे देश के 245 शहरों में 839 नए एफएम रेडियो चैनलों की इलेक्ट्रानिक नीलामी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

हथकरघा बुनकरों के कल्याण को और सुनिश्चित करने के लिए, मेरी सरकार ने हाल ही में 3884 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है ताकि हथकरघा बुनकरों और उनकी समितियों के ऋण को माफ किया जा सके। इसके अलावा, बुनकरों को सस्ते कर्ज और अनुदानित सूत देने के लिए 2362 करोड़ रुपए के व्यापक पैकेज की भी घोषणा की गई है।

कपड़ा उद्योग में निवेश के लिए मेरी सरकार ने पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम का अनुमोदन किया है और 11वीं योजना में निवेश की राशि लगभग दुगुनी अर्थात् 8 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 हजार करोड़ रुपए कर दी गई है।

मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्य वस्तुओं में, भारत सहित विश्व के अनेक देशों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। दुनिया भर में वस्तुओं, औद्योगिक सामग्री और ईंधन की कीमतें बढ़ने से भी मुद्रास्फीति बढ़ी है। सरकार ने आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं: जैसे आयात शुल्क में कटौती और निर्यात पर सुविचारित रोक। ईंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के भारी दबाव को कम करने के लिए कच्चे तेल पर सीमा शुल्क और पेट्रोल तथा डीजल पर आयात शुल्क घटा दिए गए हैं।

रिजर्व बैंक की मजबूत नीतिगत कार्रवाई और सरकार के प्रभावी उपायों के नतीजे अच्छे रहे हैं। प्रमुख खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट आई, जिससे आम आदमी को राहत मिली है। सामान्य मुद्रास्फीति में भी कमी आई है।

भारत में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं–विदेशी वाणिज्यिक ऋणों से संबंधित नियमों का उदारीकरण, विदेशी संस्थागत निवेशकों की उधार देने की सीमा में बढ़ोत्तरी और पात्र विदेशी निवेशकों से म्युचुअल फंड्स में निवेश और इक्विटी आकर्षित करने की योजनाएं।

सरकार ने वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कानून, नियम व विनियम पुनः तैयार करने व उन्हें सुसंगत बनाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग गठित किया है जिससे वित्तीय क्षेत्र की सामयिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

भारत में करदाता सेवाओं में सुधार करने, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में दक्षता लाने के लिए मेरी सरकार ने ई-गवर्नेन्स संबंधी कई उपाय किए हैं। आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग, करों के ई-पेमेंट, करदाता के बैंक खाते में सीधे ही इलेक्ट्रॉनिक रिफंड हेतु ईसीएस सुविधाएं और टीडीएस रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा अब समूचे देश में उपलब्ध है। पेपर आयकर रिटर्न सहित करदाताओं के सभी आवेदनों के कंप्यूटरीकृत पंजीकरण के लिए आयकर सेवा केन्द्र नामक एकल खिड़की व्यवस्था शुरू की गई है।

वर्ष 2011 में भारत का वाणिज्यिक वस्तु निर्यात 298 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जो वर्ष 2010 की तुलना में 34 फीसदी अधिक है। मेरी सरकार ने वर्ष 2013-14 तक निर्यात को दुगुना करने अर्थात् 500 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने की कार्य-योजना तैयार की है। जापान, मलेशिया, कोरिया गणराज्य के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार और आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार-करार किए गए हैं। यूरोपीय संघ सहित कई अन्य देशों के साथ वार्ता चल रही है।

वित्तीय समावेश योजना के तहत देश में लगभग 73 हजार ऐसे रिहायशी इलाकों की पहचान की गई है, जिनकी आबादी 2000 से ज्यादा है। इन इलाकों में बैंकों अथवा प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग व्यवस्था के जरिए बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जानी हैं। इस योजना के तहत नवम्बर, 2011 तक 49 हजार गांव आच्छादित किए जा चुके थे। स्व-सहायता समूहों, विशेषकर, महिलाओं द्वारा संचालित समूहों को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, ताकि इनमें गैर-सरकारी संगठनों को भी भागीदार बनाया जा सके।

मेरी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जरूरत के अनुसार इनको पूंजी उपलब्ध कराएगी। साथ ही 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पूंजी विस्तार की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

मेरी सरकार भारतीय विद्युत उपस्कर उद्योग के लिए मिशन योजना 2012-2022 तैयार कर रही है। इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाईल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विद्युत संचरण बोर्ड और राष्ट्रीय विद्युत संचरण परिषद का गठन किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना भी शुरू की जाएगी। विदेशों में कच्चे माल की परिसंपत्तियों को अर्जित करने की नीति बनाई गयी है।

मेरी सरकार ने एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य इसी दशक में जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को 25 फीसदी तक बढ़ाना और रोजगार के 10 करोड़ नए अवसर पैदा करना है। सरकार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन बनाएगी।

दादरी से लेकर नवी मुंबई के बीच वेस्टर्न डेडिकेटिड रेल फ्रेट कॉरिडोर समानांतर आयकॉनिक दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मेरी सरकार ने, मुख्य मार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पांच वर्षों के दौरान डीएमआईसी को 17,500 करोड़ रुपए तथा परियोजना विकास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय किया है।

सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म और लघु उपक्रमों द्वारा उत्पादित माल और सेवाओं के लिए ऐसी सार्वजनिक खरीद नीति अनुमोदित की है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाले उपक्रमों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

देश में सुदृढ़ प्रतिस्पर्धा संस्कृति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संशोधित कंपनी विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है।

मेरी सरकार पर्याप्त एवं गुणात्मक ढांचागत विकास को उच्च प्राथमिकता देती है जिससे भारतीय वहनीय एवं समावेशी आर्थिक विकास कर सके और भारत, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आए। ढांचागत विकास के लिए संसाधन जुटाने जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए, मेरी सरकार ने कई पहल की हैं, जैसे पेंशन और बीमा फंड को पूरा करने के लिए अवसंरचना ऋण फंड की स्थापना करने संबंधी विनियम पहली बार जारी किए गए हैं। अवसंरचना की एक समान परिभाषा तय की जा रही है।

ढांचागत निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ''वायबिलिटी गैप फंडिंग'' स्कीम के अंतर्गत, सरकार ने ढांचागत निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त उप-क्षेत्रों को भी शामिल किया है। इसमें कोल्ड चेन एवं फसल उत्पाद भंडारण सहित आधुनिक भंडारण क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए पूंजी निवेश शामिल है।

देश की आधारभूत संरचना में हमें और अधिक विस्तार और सुधार करने की जरूरत है। मेरी सरकार बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रही है और उन्हें रेल मार्गों तथा सड़कों से जोड़ा जा रहा है। देश में, खासकर उत्तर-पूर्वी इलाकों में, अंतर्देशीय जल परिवहन की अतिरिक्त परियोजनाओं की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं।

रेलवे के आधुनिकीकरण का व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। पूर्वी व पश्चिमी डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर, जिनका कार्य पहले से ही प्रगति पर है, के अतिरिक्त माल और यात्रियों के लिए रेल मार्ग अलग-अलग करने के लिए और अधिक डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर निर्मित किए जाएंगे।

मेरी सरकार सड़कों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। इस वर्ष कम से कम 7000 किलोमीटर सड़क निर्माण परियोजनाओं के ठेके दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक खरीद और इलेक्ट्रॉनिक-निविदा की नीति अपनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं।

विमान यात्रियों के हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सुरक्षित और वाजिब दाम पर विमान सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष संसद में नागर विमानन प्राधिकरण के लिए विधेयक लाया जाएगा। विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का गठन किया जाएगा जो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। हवाई यातायात प्रबंधन सेवाओं और हवाई अड्डों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा।

मेरी सरकार देश में तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी उपाय कर रही है। नई अन्वेषण लाईसेंसिंग नीति का नौवां चरण शुरू हो चुका है। हर साल 6 मिलियन मीट्रिक टन तेल के शोधन की क्षमता वाली भारत-ओमान रिफाइनरी लिमिटेड जून, 2011 में शुरू की जा चुकी है। यह कंपनी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा ओमान ऑयल कंपनी का संयुक्त उद्यम है।

मेरी सरकार, देश में सभी लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही है। इस समय देश में प्रति 100 व्यक्ति 76 टेलीफोन कनेक्शन हैं। मेरी सरकार दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नीतियां बना रही हैं। देश की सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पर 20 हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी। आईटी हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित उपाय किए जा रहे हैं।

हमारी अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ-साथ हमारी ऊर्जा आवश्यकता भी एक दशक में दुगुनी हो जाने की संभावना है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, हमारी बड़ी उपलब्धियां रही हैं। जहां 10वीं योजना अवधि में, 21 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी गई, वहीं 11वीं योजना में लगभग 52000 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने की संभावना है। संभावना है कि केवल 2011-12 में ही हम 15000 मेगावाट क्षमता रिकार्ड क्षमता की वृद्धि हासिल कर सकेंगे।

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के तहत, 1400 अभिनिर्धारित नगरों के लिए लगभग 30 हजार करोड़ रुपए वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। अन्य क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए, मेरी सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत फंड स्थापित करने का अनुमोदन किया है, जिससे राज्य विद्युत कंपनियों को संवितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इस फंड का लक्ष्य अगले दो वर्षों में लगभग 25 हजार करोड़ रुपए का निवेश जुटाना है। मेरी सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन की आपूर्ति सुकर बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

हमें अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 400 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने की योजना है। मिशन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सौर ऊर्जा के उत्पादन की लागत को ग्रिड विद्युत लागत के नजदीक लाना है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी है कि जब दो वर्ष पहले यह मिशन शुरू किया गया था, तब के मुकाबले हाल की टैरिफ बोलियां 50 प्रतिशत कम हैं।

देश में न्यूक्लियर संयंत्रों की संस्थापित क्षमता बढ़कर 4780 मेगावाट हो गई है और बारहवीं योजना के अंत तक इसके 10,080 मेगावाट होने की संभावना है। मेरी सरकार, न्यूक्लियर ऊर्जा के उपयोग में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और न्यूक्लियर ऊर्जा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समाज के किसी भी वर्ग की सुरक्षा और उनकी आजीविका अर्जन से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फुकुशिमा, जापान में मार्च, 2011 में हुई दुर्घटना के बाद, मेरी सरकार ने देश में लगे सभी न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा प्रणालियों की तकनीकी समीक्षा करने के आदेश दिए। इनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया और सुरक्षा बढ़ाने के संबंध में की गई सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। नाभिकीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक संसद में पेश कर दिया गया है।

मेरी सरकार ने संसद के पिछले सत्र में खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक पेश किया। इस विधेयक का

उद्देश्य ऐसी कानूनी व्यवस्था उपलब्ध करवाना है, जिससे निवेश में तेजी आए, खनन क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी समाविष्ट हो सके और खनन कार्य से प्राप्त राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और पर्यावरण संतुलन कायम रखने के लिए सुनिश्चित हो सके।

दिसम्बर, 2011 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर डरबन में हुई शिखर वार्ता में भारत ने सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में रचनात्मक और अग्रणी भूमिका निभाई है। आगे भी हम, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर इस काम को जारी रखेंगे।

अपने पर्यावरण और जैव-विविधता के संरक्षण को मेरी सरकार सर्वाधिक महत्व देती है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा गंगा नदी की सफाई करने के लिए किए गए समग्र प्रयासों को मजबूती प्रदान कर रहा है। प्रदूषण कम करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों में लगभग 2600 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति दी जा चुकी है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि जैव-विविधता पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेन्शन के सदस्य राष्ट्रों के 11वें सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। यह सम्मेलन अक्तूबर, 2012 में हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। मेरी सरकार का प्रयास रहेगा कि इस सम्मेलन में उपयोग एवं लाभ-सहभागिता जैसी पहल के प्रभावी कार्यान्वयन पर वैश्विक सहमति बने और इस दिशा में अग्रगामी कार्रवाई हो। इससे संसाधनों के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा।

मेरी सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की केन्द्रीय सहायता प्रदान करके प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम को संशोधित तथा सुदृढ़ किया है। देश से विलुप्त चीतों का पुन: प्रवेश कराने के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी बनाया गया है।

वन-विस्तार और एक करोड़ हेक्टेयर वन भूमि को हरा-भरा बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय हरित भारत (ग्रीन इंडिया) मिशन बनाया गया है।

दुनिया के देशों में भारत का उचित स्थान, वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के जरिए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। मेरी सरकार का सतत् प्रयास रहेगा कि अनुसंधान और विकास पर खर्च जीडीपी के 1 फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी हो जाए। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक निवेश प्रतिवर्ष 20 से 25 फीसदी की दर से बढ़ा है। सरकार ने ''इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इन्स्पायर्ड रिसर्च'' अर्थात् 'इन्स्पायर' स्कीम सफलतापूर्वक शुरू की है और इसके तहत अब तक विज्ञान विषय के 5 लाख से अधिक छात्रों को पुरस्कार दिए जा चुके हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को सुसाध्य करने के लिए कई नए संस्थागत प्रयास किए गए हैं। छोटे और मझोले उपक्रमों की मदद हेतु जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास को सुगम बनाने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद नामक एक लाभनिरपेक्ष कम्पनी का गठन किया जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित राष्ट्रीय महत्व के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए विज्ञान नीति कार्यान्वयन एवं अनुसंधान अकादमी अर्थात् 'एस्पायर' बनाई गई है। वैज्ञानिक एवं नवाचार अनुसंधान अकादमी भी स्थापित की गई है।

मेरी सरकार ने मानसून मिशन कार्यक्रम शुरू किया है जिससे किसानों की मदद हेतु मानसून की भविष्यवाणी को और बेहतर करने में योगदान मिलेगा। अगली पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि-मौसम विज्ञान सेवाएं 10 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। एकीकृत समुद्री सूचना परामर्श सेवाएं हमारे देश के 90 फीसदी तटीय मछुआरों तक पहुंचाई जाएंगी।

राष्ट्रीय हित में मेरी सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। आठ उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़े गए। संचार उपग्रह जीसैट-8 को कक्षा में स्थापित किया गया। वर्ष 2012 में कई बड़े उपग्रहों के प्रक्षेपणों की योजना है जिनमें हर तरह के मौसम में इमेजिंग क्षमता वाला भारत का पहला माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह और पहला नेविगेशनल उपग्रह भी शामिल है। हमारा प्रस्ताव वर्ष 2012 में, स्वदेशी क्रायोजनिक अपर स्टेज का प्रयोग करके, जीयोसिंक्रॉनस सैटेलाइट लांच व्हीकल का अगला प्रक्षेपण करने का है।

कार्य कौशल, अनुशासन और कर्त्तव्यनिष्ठा हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। भारत सरकार हमारे सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

सेना के तीनों अंगों को आधुनिक और विकसित बनाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं जिससे वह तटीय सुरक्षा सहित, सुरक्षा संबंधी समस्त भावी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों। हमारा ध्यान इस बात पर केन्द्रित है कि घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमताएं बढ़ाई जाएं और साथ ही हथियारों और उनकी प्रचालन प्रणाली (डिलीवरी सिस्टम) के मामले में हम आत्मनिर्भर बनें। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हमारी सेना, दुनिया की तकनीकी रूप से सबसे उन्नत सेनाओं में से एक हो। अग्नि-4 मिसाइल का प्रक्षेपण और प्रस्तावित हल्के लड़ाकू विमान-तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाना, इस दिशा में प्रमुख माइल स्टोन्स हैं।

देश के केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल हमारी सीमाओं के साथ-साथ देश के आंतरिक क्षेत्रों की भी पूरी बहादुरी और बलिदान की भावना से सुरक्षा करते हैं। मेरी सरकार इन सुरक्षा बलों के लिए देश की पहली बृहत् स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजना के रूप में चिकित्सा संस्थान एवं सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल बना रही है।

आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में मेरी सरकार ने वामपंथी अतिवाद से ग्रस्त इलाकों में विकास के लिए कई उपाय किए हैं। देश के अत्यधिक पिछड़े और हिंसा प्रभावित जिलों के गांवों में पिछले दो वर्षों में 3300 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली एकीकृत कार्य-योजना द्वारा विकास कार्य हुआ है। यह कार्य-योजना अब तक 60 जिलों में लागू थी और अब इसका विस्तार 78 जिलों तक कर दिया गया है।

मेरी सरकार ने दिखाया है कि हिंसा को, दृढ़ लेकिन मानवीय तरीकों से रोका जा सकता है। पिछले वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मेरी सरकार हमेशा ऐसे गुटों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहती है, जो हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हों। यह उत्साहवर्धक है कि कई संगठन अपनी शिकायतों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आगे आए हैं।

जम्मू-कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी तब हासिल हुई जब वहां पर लम्बे अंतराल के बाद पंचायत चुनाव कराए गए। इन चुनावों को जनता का भारी समर्थन मिला और 80 फीसदी से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले। वर्ष 2011 में एक करोड़ से ज्यादा तीर्थ-यात्रियों ने माता वैष्णो देवी के 'दर्शन' किए। जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए ''उड़ान'' नामक विशेष उद्योग प्रोत्साहन स्कीम और ''हिमायत'' नामक कौशल विकास एवं रोजगार स्कीम शुरू की गई है। अगले पांच वर्षों के दौरान जहां ''उड़ान'' स्कीम के तहत 40 हजार युवाओं के कौशल-विकास का लक्ष्य रखा गया है, वहीं ''हिमायत'' स्कीम के अंतर्गत एक लाख युवाओं को लाया जाएगा, जिस पर कुल 235 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक हजार से अधिक प्रशिक्षुओं को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां दी जा चुकी हैं।

13 जुलाई, 2011 को मुंबई में और 7 सितम्बर, 2011 को दिल्ली में हुए बम धमाके इस बात की गम्भीर चेतावनी देते हैं कि देश में आतंकवादी समूह अभी भी सक्रिय हैं। वर्ष 2011 में 18 आतंकी समूहों को निष्क्रिय कर दिया गया। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और नेशनल काउंटर टैररिज्म सेंटर का लक्ष्य आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए भारत की क्षमता में वृद्धि करना है।

मेरी सरकार ने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन की स्थापना के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करके उस क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग का सम्मान किया है। असम में यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलिडेरिटी के साथ भी त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तर-पूर्व में केन्द्र सरकार की परियोजनाओं के लिए निधि की आवश्यकताओं की कमी को पूरा करने के लिए संसाधनों का स्थायी केन्द्रीय पूल बनाया गया है।

विदेशी मामलों के क्षेत्र में मेरी सरकार ने हमारे निकटवर्ती पड़ोसी एवं अन्य देशों के साथ शांति और सहयोग बढ़ाने की नीति पर अनुसरण किया है ताकि हम सामाजिक-आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। मेरी सरकार दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की सफलता के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। हमारी इच्छा है कि दक्षिण-एशिया के सभी राष्ट्र समृद्ध हों, वहां स्थिरता हो और वे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, व्यापार और मूलभूत अवसंरचना को विकसित करते हुए अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें।

प्रधान मंत्री की अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव की यात्राओं से तथा म्यांमार के राष्ट्रपति, भूटान नरेश, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और नेपाल के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा से इस प्रक्रिया को काफी बल मिला है।

भारत और बांग्लादेश के बीच हुए भू-सीमा करार संबंधी प्रोटोकॉल से लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान और परस्पर लाभकारी द्विपक्षीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मेरी सरकार ने श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुन:स्थापन और पुनर्वास के लिए भी कदम उठाए हैं।

हम पाकिस्तान के साथ लंबित सभी मामलों का हल बातचीत के जरिए करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान के लिए आवश्यक है कि वह अपनी जमीन पर आतंकवादी गुटों और उनसे संबंधित ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे, अब तक हुई प्रगति को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे।

भारत की ''पूर्व की ओर देखो'' (लुक ईस्ट) की नीति के परिणामस्वरूप पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ हमारे संबंध और घनिष्ठ हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में थाइलैंड की प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि रहीं। दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रसंघ (आसियान) के साथ स्मारक शिखर वार्ता की मेजबानी भारत पहली बार करेगा जो उनके साथ हमारे परस्पर संवाद के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, इस वर्ष दिसम्बर में आयोजित की जाएगी।

पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीकी देशों में शांति, स्थिरता और प्रगति में भारत की विशेष अभिरुचि है। खाड़ी क्षेत्र में 60 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। हम

चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोग बदलाव और परिवर्तन के इस ऐतिहासिक दौर में राष्ट्र निर्माण और विकास के लिए अपने मार्ग स्वयं तलाशें। फिलिस्तीन के मुद्दे पर हम पूर्ववत् समर्थन देते रहेंगे।

पिछले साल अफ्रीका में पहली बार आयोजित दूसरे अफ्रीकी-भारत शिखर सम्मेलन के फलस्वरूप अफ्रीका के साथ हमारे पारंपरिक रिश्तों को और नया बल मिला है। अफ्रीकी महाद्वीप के 54 में से 47 देशों में हमारी महत्वाकांक्षी पैन अफ्रीकन ई-नेटवर्क परियोजना प्रारंभ की गई है।

स्लोवेनिया के राष्ट्र प्रमुख की भारत यात्रा, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैण्ड की मेरी यात्राएं और उप-राष्ट्रपति की तुर्की यात्रा से मध्य यूरोप के साथ हमारे राजनीतिक संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री की कज़ाकिस्तान यात्रा और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से मध्य एशिया के साथ हमारे संबंधों को नया आयाम मिला है।

दुनिया की महाशक्तियों के साथ हमारी भागीदारी बढ़ रही है। अमरीका हमारा एक अहम स्ट्रैटेजिक भागीदार है जिसके साथ हमारे बहुआयामी संबंध हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों पर आधारित हैं। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री की रूस यात्रा से भारत की रूस के साथ विशेष और तरजीह प्राप्त स्ट्रैटेजिक भागीदारी और अधिक मजबूत हुई है। हम चीन के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक और सहयोगी भागीदारी बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता देते हैं। चीन के साथ हमारे व्यापार और आर्थिक रिश्तों में हो रहे द्रुत विकास का महत्व न केवल हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए है, बल्कि समूची वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी है। यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों के साथ भारत के संबंध, साझा मूल्यों और बढ़ते वाणिज्यिक, आर्थिक और जनता के परस्पर संबंधों पर आधारित हैं। जापान के साथ भारत के संबंध आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ सुरक्षा क्षेत्रों में भी बढ़ते जा रहे हैं, जो दोनों देशों की प्रबल राजनीतिक इच्छा-शक्ति पर आधारित हैं।

भारत ने जी-20, ब्रिक्स और इब्सा प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाई। हम निकट भविष्य में भारत में अगली ब्रिक्स शिखर वार्ता की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में हम अन्तर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखण्डता के सुस्थापित सिद्धांतों का सम्मान करते हुए अन्य देशों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं।

मेरी सरकार ने मिशन के रूप में बनाई गई ''पासपोर्ट सेवा परियोजना'' के जरिए पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था में आमूल सुधार करने का काम कर दिया है और आशा है कि यह मौजूदा वर्ष में पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दी जाएगी। इमीग्रेशन, वीजा और विदेशी रजिस्ट्रेशन तथा ट्रैकिंग स्कीम के अंतर्गत एकीकृत ऑन-लाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है।

प्रवासी भारतीय समुदाय, भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक परंपरा का एक जीवंत तत्व है। मेरी सरकार ने लीबिया के बिगड़ते हालात को देखते हुए वहां से 16 हजार से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए पिछले वर्ष ''ऑपरेशन सेफ होमकमिंग'' चलाया। हमने मिस्र और यमन में अशांति के फलस्वरूप वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की व्यवस्था भी की। नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके भारतीय मूल के लोग और प्रवासी भारतीय नागरिक स्कीमों को सरलीकृत व आमेलित करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया गया है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार त्वरित विकास व आधुनिकीकरण का नया मार्ग दर्शा रही है जो इस धारणा पर आधारित है कि एक समृद्ध समाज का निर्माण मानवता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है, जिसका सपना हमारे राष्ट्र-निर्माताओं ने देखा था। हम समाज की ऐसी नई तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसमें सुविधावंचित लाखों लोगों को आजीविका मिल सके और हमारे युवा वर्ग की बेहतर जीवन जीने की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके; एक ऐसा समाज-जहां बड़ी विकास परियोजनाओं से पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा प्रभावित न होती हो; एक ऐसा समाज जो उदार, लोकतांत्रिक और पारदर्शी हो परंतु जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को हमेशा सर्वोपरि रखा जाता हो।

माननीय सदस्यगण, संसद के पास एक लंबी कार्यसूची है। मैं आशा करती हूं कि दोनों सदनों के समक्ष जो कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए आप सभी रचनात्मक सहयोग की भावना से मिलकर कार्य करेंगे। सभी जन-आकांक्षाओं को पूरा करने के आपके कार्य में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

जय हिंद!

अपराह्न 12.48 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने सात पूर्ववर्ती सहयोगियों, श्री एम.वाई. घोरपड़े, श्री रामचन्द्र उलाका,

श्री परागी लाल चौधरी, श्री बृजराज सिंह, श्री एम.ओ.एच. फारूक, कर्नल राव राम सिंह और श्री मणि राम बागड़ी के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री एम.वाई. घोरपड़े 1986 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने कर्नाटक के रायचूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री घोरपड़े सात बार कर्नाटक विधान सभा के सदस्य रहे। एक कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने कर्नाटक सरकार में 1972 से 1977 तक वित्त मंत्री, 1990 के दौरान, 1992 से 1994 और पुन: 1999 से 2004 तक ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री के रूप में किया किया।

आठवीं लोक सभा के दौरान श्री घोरपड़े लोक लेखा समिति के सदस्य रहे।

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री घोरपड़े एक प्रतिष्ठित फोटोग्राफर भी थे और फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया। उन्होंने रॉयल फोटोग्राफिक सोसाईटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की अध्येतावृत्ति भी प्राप्त की। श्री घोरपड़े को 1985 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार और 1994 में ललित कला अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

एक प्रतिभाशाली लेखक के रूप में श्री घोरपड़े ने अपनी हाल की रचना ''डेवलपमेंटल ईथोस एंड एक्सपीरियन्स'' सहित विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं।

श्री एम.वाई. घोरपड़े का निधन 80 वर्ष की आयु में 28 अक्तूबर, 2011 को बैंगलूरू में हुआ।

श्री रामचन्द्र उलाका 1962 से 1970 तक तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने ओडिशा के कोरापुट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री उलाका 1974 से 2000 तक छह बार ओडिशा विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने ओडिशा सरकार में 1974 से 1977 तक जनजातीय और ग्रामीण कल्याण तथा आपूर्ति मंत्री, 1980 से 1985 तक कल्याण मंत्री, 1989 से 1990 तक सिंचाई और विद्युत मंत्री और 1995 से 1998 तक जनशिक्षा, वन और कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया।

श्री उलाका तीसरी लोक सभा के दौरन प्राक्कलन समिति और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। चौथी लोक सभा के दौरान वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

पेशे से एक कृषक श्री उलाका ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उन्होंने निर्धन व्यक्तियों और समाज के उपेक्षित वर्गों के कल्याण हेतु कार्य किया। उन्होंने कोरापुट में जनजातीय क्षेत्रों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई और लोगों की सेवा के लिए अनथक प्रयास किया।

श्री रामचन्द्र उलाका का निधन 77 वर्ष की आयु में 25 दिसम्बर, 2011 को भुवनेश्वर में हुआ।

श्री परागी लाल चौधरी 1996 से 1997 तक ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री परागी लाल चौधरी 1981 से 1985 और 1986 से 1990 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

एक समर्पित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, श्री चौधरी जिला परिषद्, सीतापुर के सदस्य और उपाध्यक्ष रहे। श्री चौधरी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और समाज के दबे-कुचले वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया।

श्री चौधरी अपने निर्वाचन क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन से जुड़े हुए थे। वे हिन्द कन्या इंटर कॉलेज, सीतापुर और आर.एम.जी. महाविद्यालय, सीतापुर की कार्यकारी निकाय के सदस्य थे।

श्री चौधरी ने समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए आवास विकास सोसायटी की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभायी। उन्होंने लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के आयोजन में सक्रिय भूमिका भी निभाई।

श्री परागी लाल चौधरी का निधन 82 वर्ष की आयु में 17 जनवरी, 2012 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री बृजराज सिंह 1962 से 1967 के दौरान तीसरी और 1977 से 1979 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के क्रमश: बरेली और आंवला संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री बृजराज सिंह छठी लोक सभा के दौरान लोक लेखा समिति के सदस्य रहे।

एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, श्री बृजराज सिंह ने 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया।

पेशे से कृषक श्री बृजराज सिंह ने कृषि और उत्पादन समिति, भूटा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। श्री बृजराज सिंह ने समाज के गरीब, दलित और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया।

श्री बृजराज सिंह का निधन 87 वर्ष की आयु में 21 जनवरी, 2012 को बरेली में हुआ।

श्री एम.ओ.एन. फारूक 1991 से 1997 तक दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा और 1999 से 2004 तक तेरहवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने पुडुचेरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री फारूक 1964 से 1991 तक पुडुचेरी विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1964 से 1967 और 1980 से 1985 तक दो बार पुडुचेरी विधान सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। श्री फारूक 1967 से 1968, 1969 से 1974 और 1985 से 1990 तक तीन बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। वह 1990 के दौरान पुडुचेरी विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे।

एक कुशल प्रशासक, श्री फारूक ने 1991 से 1992 तक केन्द्रीय नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया।

श्री फारूक जनवरी, 2010 से सितम्बर, 2011 तक झारखंड और सितम्बर, 2011 से अपने निधन तक केरल के राज्यपाल रहे।

2004 से 2009 तक सऊदी अरब में भारत के राजदूत के रूप में कार्य करते हुए श्री फारूक ने कूटनीति के अपने स्वाभाविक कौशल का परिचय दिया।

कई देशों की यात्रा कर चुके श्री फारूक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व किया। वह 1987 और 1989 में क्रमशः हज सद्भावना शिष्टमंडल के उपनेता और नेता रहे।

श्री एम.ओ.एच. फारूक का निधन 75 की आयु में 26 जनवरी, 2012 को चेन्नई में हुआ।

कर्नल राव राम सिंह वर्ष 1991 से 1997 तक दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने हरियाणा के महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

कर्नल सिंह वर्ष 1977 से 1987 तक हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे। वह जून 1978 से मई 1982 तक हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष पद पर रहे।

एक योग्य प्रशासक कर्नल सिंह हरियाणा सरकार में जनवरी 1977 से जून 1978 तक शिक्षा मंत्री और जून 1982 से 1987 तक परिवहन मंत्री रहे। उन्होंने जुलाई 1992 से मार्च 1996 तक केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (बंजर भूमि विकास विभाग) के रूप में भी कार्य किया।

सेना में अपने लम्बे और शानदार कैरियर के दौरान कर्नल सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया और 1947, 1962 और 1965 के युद्धों में भी भाग लिया।

कर्नल राव राम सिंह का निधन 87 वर्ष की आयु में 30 जनवरी, 2012 को गुड़गांव में हुआ।

श्री मणि राम बागड़ी वर्ष 1962 से 1967 तक तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के हिसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और वर्ष 1977 से 1984 तक छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे जिसमें उन्होंने क्रमशः उत्तर प्रदेश के मथुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और हरियाणा के हिसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री बागड़ी वर्ष 1953 से 1955 तक पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे।

एक समर्पित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता श्री बागड़ी ने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रयास किया और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए निरन्तर कार्य किया। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई कल्याणकारी परियोजनाओं को शुरू करने में अग्रणी भूमिका निभाई।

श्री मणि राम बागड़ी का निधन 92 वर्ष की आयु में 31 जनवरी, 2012 को हिसार, हरियाणा में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से और इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूं।

माननीय सदस्यगण, 6 फरवरी, 2012 को मध्य फिलीपीन्स के निग्रोस ओरयंटल और सिबू अपतट पर रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता का एक भीषण स्थानीय भूकम्प आया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 20 फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार इसमें 69 लोगों की मौत हुई है, 112 लोग जख्मी हुए हैं तथा 62 लोग लापता हो गए हैं। भूकम्प के कारण मकानों, सरकारी भवनों, सड़कों और पुलों को भारी क्षति पहुंची।

अपराह्न 1.00 बजे

फिलीपीन्स की जनता ने जिस अदम्य साहस और एकजुटता से इस आपदा का सामना किया है वह प्रशंसनीय है। माननीय

सदस्यों को स्मरण होगा कि इस देश में आए भीषण तूफान 'सेनडाँग' के तुरन्त बाद यह आपदा आई है। यह सभा दु:ख की इस घड़ी में फिलीपीन्स की जनता के प्रति भारत की जनता की सद्भावना और एकजुटता सम्प्रेषित करती है।

माननीय सदस्यगण, 22 फरवरी, 2012 को कश्मीर घाटी में गंदरबल और बांदीपुरा जिलों के पर्वतीय क्षेत्रों में दो भयंकर हिमस्खलनों में कम से कम 19 सैनिक मारे गए तथा कई अन्य लोग जिनमें दो असैनिक कुली भी शामिल थे, घायल हो गए। इन क्षेत्रों में हिमस्खलनों द्वारा सैनिक और असैनिक सम्पत्तियों को भारी क्षति भी पहुंची।

इस प्राकृतिक आपदा के कारण मृतकों और प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को जो पीड़ा और कष्ट पहुंचा है, यह सभा उस पर गहरा दु:ख वयक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

अपराह्न 1.0$^{1}/_{2}$ बजे

तत्पश्चात्, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 1.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

डॉ. चरण दास महंत।

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): महोदया, मैं श्री शरद पवार की ओर से, भारतीय कृषि की स्थिति, 2011-12 के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6159/15/12]

अपराह्न 1.01$^{1}/_{2}$ बजे

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मुझे सभा को सूचित करना है कि निम्नलिखित सदस्यों ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। (i) कर्नाटक के उदूपी-चिकमगलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री डी.वी. सदानन्द गौडा का दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 29 दिसम्बर, 2011 की प्रभावी तिथि से स्वीकार कर लिया है; और (ii) आंध्र प्रदेश के नेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री एम. राजा मोहन रेड्डी का दिनांक 24 अगस्त, 2011 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 28 फरवरी, 2012 की प्रभावी तिथि से स्वीकार कर लिया है।

अब सभा कल दिनांक 13 मार्च, 2012 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 01.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 13 मार्च, 2012/23 फाल्गुन, 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।